जरिये ई-मेल

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर ।।

क्रमांकः—कारा/भवन/1/2015—16/नवीन महिला जेल/14955-65067 दिनांक 11-3-19

अधीक्षक,
केन्द्रीय कारागृह,
कोटा ।

विषयः—नवीन महिला बंदी सुधारगृह कोटा को प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।
प्रसंगः—राज्य सरकार के पत्र क्रमाक प.9(2)गृह—12/कारा/2019 दिनांक 27.02.19 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के द्वारा नव निर्मित महिला बंदी सुधारगृह कोटा स्थाई जेल घोषित की जा चुकी है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर डी.बी सिविल रिट पिटीशन संख्या 13627/2013 में पारित आदेश दिनांक 03.10.2016 की अनुपालना मे दिये गये दिशा निर्देशानुसार तत्काल नवीन महिला बंदी सुधारगृह कोटा को नियमानुसार प्रारम्भ कर अनुपालना रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रूपिन्दर सिंघ)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. उप महानिरीक्षक कारागार, रेन्ज, उदयपुर।
2. समस्त मण्डलाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी केन्द्रीय,जिला, उप कारागह,राजस्थान।
3. उप विधि परामर्श मुख्यालय कारागार जयपुर को डी.बी सिविल रिट पिटीशन संख्या 13627/2013 के संदर्भ में।
4. अधीक्षक (संस्थापन शाखा) मुख्यालय कारागार जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि तत्काल स्वीकृत स्टाफ अनुसार नवीन महिला बंदी सुधारगृह, कोटा पर स्टाफ के पदस्थापन आदेश जारी करवाया जावे। संलग्न आदेश प्रति ।
5. प्रभारी सामान्य शाखा/बंदी शाखा मुख्यालय कारागार जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि शीघ्र कारागृह प्रारम्भ करवावे तथा महिला बंदीयों को भिजवाने के सबंध में आवश्यक कार्यवाही करावे।
6. समस्त शाखा प्रभारी मुख्यालय कारागार, जयपुर ।
7. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को वास्ते वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु संलग्न आदेश प्रति ।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

353

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

क्रमांक : प.9(1)गृह–12/कारा/2019 जयपुर,दिनांक 27 FEB 2019

<u>आदेश</u>

यत् यह राज्य सरकार कारागार अधिनियम 1894 (केन्द्रीय अधिनियम –9, सन् 1894) के नियम 3(1) के अन्तर्गत तहसील लाडपुरा जिला कोटा में केन्द्रीय कारागृह, कोटा के परिसर में नवनिर्मित महिला बंदी सुधारगृह जो तहसील लाडपुरा के खसरा नं. 206, 207, 215, 216, 223, 224 के कुल 6 खसरों, जिनका क्षेत्रफल–6.7800 हैक्टेयर हैं, के अन्तर्गत महिला बंदी सुधारगृह का भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 2500 Square metter (26875 Sq. Ft.) हैं। नवनिर्मित महिला सुधारगृह केन्द्रीय कारागृह, कोटा के पिछले हिस्से में बना हुआ हैं। महिला सुधारगृह भवन का मुख्य द्वार दक्षिण–पश्चिम दिशा में अवस्थित है। महिला सुधारगृह भवन के उत्तर–पश्चिम दिशा में कारागृह परिसर की खाली भूमि, दक्षिण–पूर्व में राजकीय महाविद्यालय की बाउन्ड्री वॉल, उत्तर–पूर्व में कारागृह परिसर की बाउन्ड्री वॉल अवस्थित हैं। जिसका कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 2500 Square metter (26875 Sq. Ft.) हैं। इस क्षेत्र को एतद् द्वारा स्थाई जेल घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कैलाश चन्द)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2 संभागीय आयुक्त, जयपुर।
3 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा।
4 पुलिस अधीक्षक, कोटा।
5 अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति मय सॉफ्ट प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचना की दो प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
6 अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, कोटा।
7 रक्षित पत्रावली ।

(शंकर सिंह मनोहर)
सहायक शासन सचिव,

Date 270219
Directorate General
Prisons, Rajasthan, Jaipur

DG	
ADGP	
IGP	
DY. IGP	
Supervisory Officer	
Branch	

1675
1-3-19